



जनपद हमीरपुर

दिनांक-30.11.2022

प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 4500/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 07/02/2001 को थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 15/01 धारा-323,325,504,506 आईपीसी व 3(1)10 sc/st एक्ट में नामजद अभियुक्तगण 1) लल्ला पुत्र कल्याण सिंह, 2) गिरवर पुत्र जगत सिंह निवासीगण कंडोर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपीगण को धारा 323/325/506 आईपीसी का दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा कुल 02 अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में अधिकतम 03-03 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 4500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।